न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–रिछपाल सिह बुरडक आर0ए0एस0
अपील संख्या :–15/2020
अपीलान्टः–

1. निधि कंवर पत्नी श्री महावीर सिंह जाति राजपुत, निवासी श्यामगढ़ तहसील नांवा, जिला नागौर।

रेस्पोडेन्ट :–

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नांवा।

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री समन्दर सिंह अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश एवं निर्णय दिनांक 02.12.2019 न्यायालय तहसीलदार नांवा अन्तर्गत प्रकरण संख्या 54/2019 राजस्थान सरकार बनाम निधि कंवर के विरूद्ध

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–16.08.2021

{1} यह अपील विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 एल आर एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार नांवा के प्रकरण संख्या 54/2019 बअनुवान राजस्थान सरकार बनाम निधि कंवर निर्णय दिनांक 02.12.2019 के विरूद्ध पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील नांवा में पटवारी हल्का श्यामगढ़ द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि ग्राम श्यामगढ़ के खसरा नम्बर 1011 किस्म भूमि बारानी 2 राजकीय भूमि में अपीलार्थी/अप्रार्थी ने 1.80 हैक्टर भूमि में से रकबा 0.40 हैक्टर भूमि पर पक्के कमरे व फसल लगाकर अतिक्रमण किया गया है। उक्त रिपोर्ट पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जिस पर दिनांक 02.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली व जुर्माना से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया जिसे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी यह अपील पेश की है।

{3} अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :-

{3} (1) यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{3} (2) यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री व साक्ष्य के विपरीत निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है तथा पटवारी हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट पूर्णतया गलत व एक तरफा होने के तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर न कर भारी विधिक भूल की है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3) यह है कि उक्त भूमि पर अपीलार्थी अपने परिवार सहित पिछले करीब 50-60 सालों से पक्के मकान बनाकर निवास कर रहे है, केवल मात्र सरपंच ग्राम पंचायत को वोट नहीं दिये जाने के कारण राजनैतिक द्वैषतावश सरपंच

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

द्वारा पटवारी हल्का को सरपंच के बहकावे आकर कार्यवाही की गई है इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4) यह है कि पटवारी हल्का ने अधिनस्थ न्यायालय ने गलत रिपोर्ट पेश की है, उक्त खसरा नम्बर 1011 की भूमि पर अपीलान्ट ने किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया है, अपीलान्ट के पास उक्त मकान के अतिरिक्त अन्य कोई आवासीय मकान कहीं पर भी नहीं है, अपीलार्थी के पति की पूर्व में मृत्यु हो चूकी है अपीलार्थीया स्वयं मजदूरी करके अपना व अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। यदि अपीलार्थीया को उसके आवासीय मकान से बेदखल कर दिया तो वह सड़क पर आ जावेगी तथा उसको सिर छिपाने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं मिलेगा। इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अवलोकन किये भारी विधिक भूल की है, जिससे अधिन अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(5) यह है कि अपीलान्ट एक सभ्य समाज की विधवा महिला है तथा खुन-पसीने से बनाये हुए पक्के निर्माण वर्षो वर्षो के काबिज है, जिससे उपरोक्त 91 की कार्यवाही मयाद बाहर होने से अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(6) यह है कि अपीलार्थी/प्रार्थीया ने अधिवक्ता अवश्य नियुक्त किया था, परन्तु अपीलार्थी के अधिवक्ता आगामी पेशी को अनुपस्थित रहने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टिया ही विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर यह आदेश पारित किया गया है, अपीलार्थीया को उसके अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार के निर्णय की सूचना नहीं दी तथा अपीलार्थी इस मुगालते में रही की प्रकरण अभी विचाराधीन है, जिससे उक्त निर्णय

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

की जानकारी अपीलार्थी को नहीं हुई, जिससे अपील पेश करने में हुई देरी क्षमा योग्य है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त पत्रावली में अपीलान्ट को साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर तक नहीं दिया गया और न ही किसी प्रकार की कोई साक्ष्य ली गई। जिससे भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{4 } उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 24.01.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 19.02.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक/राजस्व/2020/147 दिनांक 17.03.2020 के द्वारा रिकार्ड इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय दिनांक 02.12.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

{5} प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबधं में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.12.2019 को हुआ है जिसकी अपील अपीलान्ट/अप्रार्थी ने दिनांक 24.01.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की। अपीलान्ट/अप्रार्थी को उसके अधिवक्ता ने उक्त निर्णय की जानकारी नहीं दी। प्रार्थीया इस मुगालते में रही की प्रकरण अभी विचाराधीन है, प्रार्थिया ने दिनांक 23.01.2020 को निर्णय की नकल प्राप्त करने से उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी हुई है, अतः अपीलान्ट के निवेदन व अपील

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

में मियाद के बिन्दु को नहीं देख कर प्रकरण के विषय को देखा जाना आवश्यक है। अतः अपीलान्ट की अपील को नकल लेने की अवधि से एक माह की अवधि में अपील दर्ज किया जाना अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता हैं।

{6} बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों एव आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं परिस्थितियो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना की है तथा पटवारी हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट पूर्णतया गलत है। अपीलार्थी/अप्रार्थी पिछले 50–60 सालों से पक्के मकान बनाकर निवास कर रहे है, जिससे उपरोक्त 91 की कार्यवाही मयाद बाहर होने से अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि उक्त खसरा नम्बर 1011 की भूमि पर अपीलान्ट ने किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया है तथा अपीलार्थीया/अप्रार्थीया ने अधिवक्ता अवश्य नियुक्त किया था, परन्तु अपीलार्थी के अधिवक्ता आगामी पेशी को अनुपस्थित रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टिया ही विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर यह आदेश पारित किया है अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

{7} बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का श्यामगढ़ की रिपोर्ट जिसके अनुसार ग्राम श्यामगढ़ के खसरा नंबर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

1011 कुल रकबा 1.80 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी 2 में से रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर प्रदान करने पर भी अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा भूमि बारानी 2 पर नाजायज अतिक्रमण किया गया है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अधिकार है। यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का श्यामगढ़ द्वारा पेश रिपोर्ट दिनांक 27.08.2019, जिसकी जांच भू-अभिलेख निरीक्षक मारोठ द्वारा की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा ग्राम श्यामगढ़ के खसरा नंबर 1011 कुल रकबा 1.80 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 में से रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि पर पक्का मकान व कास्त की जाकर अतिक्रमण किया गया है जो हटाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नही हाने से यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलांट को बेदखली का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

—:आदेश:—

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.12. 2019 उपर्युक्त विवेचनानुसार यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)